

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-जयपुर/एफ.31570/2025/ दिनांक :

आदेश

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के केम्प आदेश क्रमांक केम्प-झुन्झुनू/2022/29 दिनांक 26.04.2022 में क्रम संख्या 16 पर अंकित श्री संदीप माथुर, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू जिनकी राज्य सेवा (सवंग) में प्रथम नियुक्ति तिथि 01.07.1989 है को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ.15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 में उपलब्ध प्रावधानुसार 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.07.2016 से पे मैट्रिक्स लेवल 11 में एसीपी स्वीकृत की गई थी को कार्मिक द्वारा प्रस्तुत संशोधित विकल्प पत्र के आधार पर निरस्त करते हुए वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 के अनुसरण में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में एवं वित्त विभाग(रूल्स डिवीजन) के अधिसूचना क्रमांक सं० एफ 14(1) एफडी/(रूल्स)/2013 दिनांक 28.06.2013 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों पे बैण्ड 9300-34800 व ग्रेड पे 4200 एसीपी स्वीकृत की जाती है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-जयपुर/एफ.31570/2025/05 दिनांक : 23/01/25
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू।
2. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू।
3. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रमारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date :22-01-2025 07:04:24